भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1252
उत्तर देने की तारीख 28 जुलाई, 2025
6 श्रावण, 1947 (शक)

पीएसयू द्वारा राज्य स्तरीय खेल का विकास

1252. श्री सुधीर गुप्ता :
श्री मनीष जायसवाल:
श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतराव :

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राज्य स्तरीय खेलों के विशेषकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और झारखंड में, विकास में सहायता करने में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) को शामिल करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं कि उक्त राज्यों में खेल अवसंरचना और प्रतिभा विकास को बढ़ाने में पीएसयू प्रभावी रूप से योगदान दें;

(ग) क्या सरकार ने युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए स्थानीय स्तर पर कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) प्रदान करने हेतु कोई योजना बनाई है या बनाने का प्रस्ताव है ताकि वैश्विक स्तर पर खेल प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया जा सके;

(घ) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान खेल विकास के लिए राज्यवार और खेल-वार कुल कितनी सीएसआर निधि का उपयोग किया गया और उसके अंतर्गत कौन-कौन सी प्रमुख परियोजनाएँ क्रियान्वित की गईं;

(ङ) 2047 तक भारत के शीर्ष पाँच वैश्विक खेल प्रदर्शनकर्ताओं में स्थान बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में पीएसयू सहित कॉर्पोरेट योगदान के प्रभाव का आकलन करने हेतु क्या तंत्र बनाया गया है; और

(च) ग्रामीण क्षेत्रों और कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों में खेलों में कॉर्पोरेट भागीदारी में बढ़ोत्तरी से लाभ पहुंचाने के लिए तंत्र को विशेष रूप से किस प्रकार तैयार किया जाएगा?

उत्तर
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (च): 'खेल' राज्य का विषय होने के कारण, देश में खेलों के संवर्धन और विकास का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ) सहित देश भर में विभिन्न खेल संवर्धन स्कीमें चलाकर उनके प्रयासों में सहायता करती है। इसके अतिरिक्त, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधि का उपयोग अवसंरचना के विकास के माध्यम से खेलों के संवर्धन हेतु भी किया जाता है। सरकार ने कारपोरेट क्षेत्र को विशिष्ट खेल और प्रशिक्षण केंद्रों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कई पहल की हैं। एनएसडीएफ एक मांग संचालित स्कीम है और यह देश भर में खेलों के संवर्धन के लिए टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (टीओपीएस) के वित्तपोषण सहित अवसंरचना के विकास, प्रशिक्षण और अन्य गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा, सरकार नियमित रूप से कारपोरेट और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के साथ बातचीत कर रही है और उनसे एनएसडीएफ में अंशदान करने तथा युवाओं के बीच खेलों को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय भागीदार बनने का अनुरोध कर रही है। इन अंशदानों का उद्देश्य ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेलों, पैरालंपिक खेलों और ओलंपिक खेलों सहित विभिन्न स्तरों पर खेलों को बढ़ावा देना है। परिणामस्वरूप, कई कारपोरेट संगठन सीएसआर वित्तपोषण के माध्यम से देश में खेल विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके एनएसडीएफ के साथ मिलकर काम करने के लिए आगे आए हैं।

विगत तीन वर्ष और चालू वर्ष के दौरान खेल विकास के लिए उपयोग की गई सीएसआर निधियों का राज्य और खेल-वार विवरण तथा कार्यान्वित की गई प्रमुख परियोजनाएं एनएसडीएफ टैब के अंतर्गत http://nsdf.yas.gov.in/nsdf-glance.html पर पब्लिक डोमेन पर दी गई हैं।

चूंकि एनएसडीएफ में प्राप्त सीएसआर निधि खिलाड़ियों/फाउंडेशनों/अकादमियों आदि को सहायता के रूप में और खेल अवसंरचना के विकास के लिए दी जाती है, इसलिए इसके प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई विशिष्ट प्रदर्शन इंडिकेटर या मैट्रिक्स नहीं हैं।

******